न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

सेशन प्रकरण संख्या :– 31/2019
सी.आई.एस. नं. :– 33/2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 154/2019, आरक्षी केन्द्र बालोतरा
CNR : RJBA010005862019

राजस्थान राज्य ।

विरुद्ध

01. इलियास पुत्र सलीम खां, उम्र 29 वर्ष, निवासी पुरानी धानमण्डी के सामने, बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा ।
02. शोयब पुत्र युसुफ, उम्र 26 वर्ष, निवासी गेमनागाजी दरगाह के सामने, बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा ।
03. साहिल खां उर्फ सोहेल खां पुत्र सलीम खां, उम्र 29 वर्ष, निवासी जोधपुर रोड़, गैस एजेंसी के सामने, बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा ।
04. शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन पुत्र फरीद, उम्र 27 वर्ष, निवासी नूरानी मोहल्ला, सांसी बस्ती, जोधपुर ।
05. आमीन खां पुत्र युसुफ खां, उम्र 29 वर्ष, निवासी गेमनागाजी दरगाह के सामने, बालोतरा, पुलिस थाना बालोतरा, जिला बालोतरा ।

---- अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री करणसिंह चारण, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

:: निर्णय ::

दिनांक : 02.04.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी संजय खां द्वारा प्रस्तुतशुदा टंकित रिपोर्ट के संक्षिप्त तथ्यानुसार, दिनांक 02.05.2019 को रात्रि करीबन 09.15 बजे वह उसके घर से खाना खाकर घर से थोड़ी दूर रुस्तम खां के घर के पास पहुँचा तब

इलियास, शेर मोहम्मद, साहिल, अमीन, शोएब तथा तीन अन्य एकराय होकर स्मैक के नशे में धुत्त धारदार हथियार जिनमें फरसा, कुल्हाड़ी, धारिये लेकर आए और उसे घेर लिया तथा इलियास ने कहा कि उन्हें नशा करना है इसलिए रुपये दो । उसके द्वारा पैसे देने से मना करने पर साहिल ने उसके मुंह पर मुक्का मारा व अन्य सभी ने धड़ाधड़ थापा मुक्की करनी शुरु कर दी जिसकी रिपोर्ट करने वह थाना गया तथा रिपोर्ट पेश कर वह, उसका भाई शेर मोहम्मद व उसके काका याकूब वापस घर जा रहे थे । जैसे ही घर की गली के पास पहुँचे तभी दीगर मुलजिमान एकराय होकर आड़े फिरे व कहा कि उसकी हिम्मत उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट करने की कैसे हुई व उपरोक्त सभी मुलजिमान हमलावर होकर उसके काका याकूबजी के लात मारी जिससे वे नीचे गिर गए तब उसने व उसके काका ने रड़ें की तो उसका भाई यासीन खां दौड़कर आया व बीच–बचाव करने की कोशिश की तो आमीन खां ने जान से मारने की नीयत से तलवार की चोट मारी जिससे जीवणे हाथ की उंगलियों व अंगूठे पर गंभीर चोटें आई । बाद में उसने फोन कर उसके भाई साबीर खां को बुलाया एवं साबीर खां के बीच–बचाव करने पर सोहेल ने तलवार से जान से मारने की नीयत से सिर पर चोट मारी जिससे सिर में गंभीर चोट आई फिर शेर मोहम्मद ने तलवार से जान से मारने की नीयत से चोटें मारी जिससे जीवणे हाथ के गंभीर चोटें आई । इलियास ने जान से मारने की नीयत से धारदार फरसे से चोट मारी जो डावे हाथ के गंभीर चोट आई । फिर सोहेब खां व दो अन्य व्यक्तियों ने लोहे के पाइप से जान से मारने की नीयत से शरीर पर धड़ाधड़ मारपीट की जिससे पूरे शरीर पर जानलेवा चोटें आई । तभी हो हल्ला करने पर हड़मान, निसार खां व दो–तीन अन्य राह चलते लोगों ने बीच–बचाव कर छुड़ाया तथा उन सभी को नाहटा अस्पताल बालोतरा लेकर गए जहाँ वह और उसके भाई अस्पताल में भर्ती हैं । मुलजिमान आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके खिलाफ हत्या व अन्य गंभीर घटनाओं के विभिन्न मुकद्दमे लंबित है..... इत्यादि ।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बालोतरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154/2019, अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 327, 323 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर, अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण इलियास, शोयब व साहिल खां उर्फ सोहेल खां के विरुद्ध धारा 147, 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्तगण शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन व आमीन खां के विरुद्ध धारा 147, 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अपराध प्रमाणित मान, अभियुक्तगण इलियास, शोयब, शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन व आमीन खां के विरुद्ध दिनांक 02.08.2019 को आरोप–पत्र

न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा में पेश किया गया । मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालोतरा ने इस न्यायालय को कमिट किया जो इस न्यायालय में दिनांक 22.08.2019 को प्राप्त होने पर दर्ज किया गया । अभियुक्त साहिल खां उर्फ सोहेल खां के विरुद्ध दिनांक 07.03.2020 को आरोप–पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बालोतरा में पेश किया गया । मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बालोतरा ने इस न्यायालय को कमिट किया जो इस न्यायालय में दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त होने पर प्रकरण उसी नंबर पर दर्ज रजिस्टर किया गया ।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण इलियास, शोयब व साहिल खां उर्फ सोहेल खां को धारा 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्तगण शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन व आमीन खां को धारा 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार करते हुए अन्वीक्षा चाही ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गयाः–

गवाह संख्या	**नाम गवाह**	**गवाह द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज**
पी.डब्ल्यू. 01	साबिर खान	प्रदर्श पी 01 व 02
पी.डब्ल्यू. 02	मोहम्मद यासीन	प्रदर्श पी 02 से 04
पी.डब्ल्यू. 03	तामलराम	प्रदर्श पी 05
पी.डब्ल्यू. 04	बाबूलाल	प्रदर्श पी 05
पी.डब्ल्यू. 05	गेनाराम	प्रदर्श पी 06
पी.डब्ल्यू. 06	मेहबूब	प्रदर्श पी 07 से 09
पी.डब्ल्यू. 07	याकूब खां	प्रदर्श पी 02, 10 व 11
पी.डब्ल्यू. 08	रज्जाक खां	प्रदर्श पी 07 से 09
पी.डब्ल्यू. 09	मोसिम खां	प्रदर्श पी 02, 12 व 13
पी.डब्ल्यू. 10	शेर मोहम्मद	प्रदर्श पी 02, 14 व 15
पी.डब्ल्यू. 11	संजय खान	प्रदर्श पी 02 व 16 से 19
पी.डब्ल्यू. 12	अजरूदीन	प्रदर्श पी 18
पी.डब्ल्यू. 13	निसार खां	प्रदर्श पी 20
पी.डब्ल्यू. 14	सिकंदर	प्रदर्श पी 21 व 22
पी.डब्ल्यू. 15	असरफ खां	प्रदर्श पी 19 व 23 से 26

शेष गवाहान को लोक अभियोजक ने दिनांक 01.04.2026 को तर्क किया जिस पर साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई ।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः–

प्रदर्श पी 01	बयान धारा 161 सीआरपीसी साबीर खां
प्रदर्श पी 02	लिखित रिपोर्ट
प्रदर्श पी 03	बयान धारा 161 सीआरपीसी मोहम्मद यासीन
प्रदर्श पी 04	चोट प्रतिवेदन मोहम्मद यासीन
प्रदर्श पी 05	फर्द गिरफ्तारी इलियास (अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार)
प्रदर्श पी 06	फर्द गिरफ्तारी आमीन खां (अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार)
प्रदर्श पी 07	नक्शा नजरी बरामदगीस्थल फरसा (फरी)
प्रदर्श पी 08	फर्द बरामदगी फरसा (फरी)
प्रदर्श पी 09	फर्द बरामदगी खून आलूंदा कपड़े साबीर खां
प्रदर्श पी 10	बयान धारा 161 सीआरपीसी याकूब खां
प्रदर्श पी 11	चोट प्रतिवेदन याकूब खान
प्रदर्श पी 12	बयान धारा 161 सीआरपीसी मोहसीन खां
प्रदर्श पी 13	चोट प्रतिवेदन मोसीम खान
प्रदर्श पी 14	बयान धारा 161 सीआरपीसी शेर मोहम्मद
प्रदर्श पी 15	चोट प्रतिवेदन शेर मोहम्मद
प्रदर्श पी 16	बयान धारा 161 सीआरपीसी संजय खां
प्रदर्श पी 17	चोट प्रतिवेदन संजय खान
प्रदर्श पी 18	फर्द नक्शा नजरी घटनास्थल
प्रदर्श पी 19	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सोयब खां (अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार)
प्रदर्श पी 20	बयान धारा 161 सीआरपीसी निसार खां
प्रदर्श पी 21	फर्द बरामदगी तलवार
प्रदर्श पी 22	नक्शा नजरी बरामदगीस्थल तलवार
प्रदर्श पी 23	नक्शा नजरी बरामदगीस्थल तलवार
प्रदर्श पी 24	नक्शा नजरी बरामदगीस्थल लोहे का पाइप
प्रदर्श पी 25	फर्द बरामदगी तलवार
प्रदर्श पी 26	फर्द बरामदगी लोहे का पाइप
प्रदर्श पी 27	फर्द गिरफ्तारी शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन (अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार)
प्रदर्श पी 28	फर्द गिरफ्तारी साहिल खां उर्फ सोहेल खां (अधिवक्ता

	अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार)

6. अभियुक्तगण के विरुद्ध incriminating evidence नहीं होने से अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत नहीं किया गया ।

7. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का निवेदन किया ।

9. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में परिवादी/आहत संजय खान व अन्य आहत याकूब खान, मोहम्मद यासीन, साबीर खान, मोसीम खां व शेर मोहम्मद तथा बीच–बचाव हेतु आए निसार खां पक्षद्रोही रहे हैं तथा अन्य सभी स्वतंत्र गवाह भी पक्षद्रोही हुए हैं । किसी भी गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद नहीं की है । अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन कर परिवादी संजय खान वगैरह् पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित कर उनका रास्ता रोक नशा करने के लिए पैसों की मांग की हो जो नहीं देने पर मुलजिमान ने स्वेच्छया कुंद व धारदार हथियारों से मुजरूबान के साथ मारपीट कर मजरूबान को साधारण व गंभीर चोटें कारित कर मजरूबान मोहम्मद यासीन व साबीर खान की हत्या करने का प्रयत्न किया हो । मुलजिमान शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन व आमीन खां के संज्ञान व कब्जे से धारदार हथियार बरामद करने के संबंध में भी कोई साक्ष्य नहीं है तथा बरामदगी के गवाह सभी पक्षद्रोही हुए हैं । अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होना बताते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का निवेदन किया ।

10. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया जिस पर मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

11. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य प्रश्न हैः–

    1. "आया अभियुक्तगण ने 02.05.2019 को रात करीब 09.15 बजे (प्रथम घटना) एवं प्रथम घटना की रिपोर्ट थाना में पेश करने के पश्चात् वापस घर जाते वक्त सरहद मौजा बालोतरा में मूंगड़ा रोड़ पर परिवादी संजय खान पर जानलेवा हमला करने के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एकराय होकर विधिविरुद्ध जमाव

का गठन किया एवं उक्त विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक आयुधों, तलवारों, फरसा, लोहे के पाइप से सुसज्जित होकर परिवादी संजय खान वगैरह् पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित कर मजरूबान संजय खान, मोहम्मद यासीन व बीच–बचाव हेतु आए शेर मोहम्मद, याकुब खां, साबीर खान व मोसीम खां को स्वेच्छ्या बाधा कारित कर उनका सदोष अवरोध कर मजरूबान के साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की एवं मजरूबान साबीर खान व मोसीम खां के साथ धारदार हथियार तलवार से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहति कारित की व मजरूबान मोहम्मद यासीन व साबीर खां के साथ धारदार हथियार तलवार से मारपीट कर स्वेच्छ्या गंभीर उपहति कारित की एवं प्रथम घटना के समय परिवादी संजय कुमार से नशा करने के लिए पैसे मांगे, जो उसके द्वारा देने से इन्कार करने पर उसके साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट परिवादी संजय खान मय उसके काका मोहम्मद यासीन के साथ थाना में जाकर पेश करने के पश्चात् वापस घर जाते वक्त थाने में रिपोर्ट पेश करने के कारण उनके साथ मारपीट की एवं मजरूबान मोहम्मद यासीन व साबीर खान पर धारदार हथियार तलार से वार कर स्वेच्छ्या घोर उपहति कारित की एवं आशय मजरूबान मोहम्मद यासीन व साबीर खान की मृत्यु कारित करने के आशय से उन पर तलवार से वार कर हत्या करने का प्रयत्न किया तथा अभियुक्तगण शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन व आमीन खां के संज्ञान व कब्जा से वारदात में प्रयुक्त धारदार तलवारें उनके रहवासी मकानों में कमरे में खाट के नीचे छुपाकर रखी हुई बरामद हुई जिन्हें रखने का अभियुक्तगण के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था ?

2. "यदि अवधार्य प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो उचित दण्ड क्या होगा" ?

12. अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित करवाये जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 लगायत प्रदर्श 26 प्रदर्शित करवाये हैं ।

13. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करवाए जाने के क्रम में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की है, उसमें पीडब्ल्यू 11 परिवादी/आहत संजय खान है, जो पक्षद्रोही हुआ है जिसने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि करीब 07 साल पहले रात्रि 10.00 बजे वह उसके घर ही था तब साबीर उसे लेने आया था फिर रास्ते में वह उतर गया, वापस उसके घर जा रहा था तब रात्रि में घर पर काम करते वक्त गिर गया जिससे उसके शरीर पर चोटें आई थी उसके साथ किसी ने जान से मारने की नीयत से कोई घटना नहीं की थी न उसने किसी को देखा न सुना । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** जाहिर किया है कि 07 साल पहले उसके व इलियास की आपस में बोलचाल हुई थी । उसके साथ इलियास व उसके साथ आए व्यक्तियों ने कभी मारपीट नहीं की थी उसने आवेश में आकर बोलचाल की थाने में रिपोर्ट की थी । रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 है । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 03.05.2019 को पुलिस को मारपीट की रिपोर्ट दी हो । उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 16 का हिस्सा ए से बी देने से इन्कार किया है । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 02.05.2019 को रात्रि करीब 09.00–10.00 बजे जान से मारने की नीयत से उसके, साबिर, शेर मोहम्मद, मोहम्मद सायीन व संजय के साथ इलियास, साहिल, शेर मोहम्मद, आमीन व सोएब ने स्मैक पीने के लिए रुपये मांगे हो तथा उन्होंने मना किया तो सभी मुलजिमान ने तलवार, धारिया, लोहे के पाइपों से उनके साथ मारपीट की हो । उसकी डॉक्टरी नहीं हुई थी घर पर गिरने से लगी चोटों की डॉक्टरी करवाई थी जो प्रदर्श पी 17 है । उसकी उपस्थिति में अजरूदीन व शेर मोहम्मद के रूबरू पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा नजरी नहीं बनाया था उसके केवल खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे । नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श पी 18 है । इस कथन को गलत बताया है कि पुलिस ने दिनांक 04.05.2019 को उसके रूबरू घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाया हो । फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 19 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो पुलिस ने खाली कागजों पर करवाए थे किसलिए करवाए उसे पता नहीं । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** जाहिर किया है कि प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है । प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है । उक्त रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखाई थी उसके केवल हस्ताक्षर करवाए थे । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 18 व 19 पुलिस ने थाने में कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे ।

यह स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत मुलजिमान ने उनके साथ जान से मारने की नीयत से कोई मारपीट नहीं की ।

14. आहत पीडब्ल्यू 01 साबीर खान व पीडब्ल्यू 02 मोहम्मद यासीन पक्षद्रोही हुए हैं । पीडब्ल्यू 01 साबीर खां ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.05.2019 को रात्रि को 10.00 बजे उसके भाई संजय खान ने उसे फोन किया कि उसकी इलियास से बोलचाल हो गई है, आप घर पर आओ । वहाँ वह गया, वहाँ पर कोई नहीं था, तो उसने संजय को फोन किया तो उसने बोला कि वह नगर परिषद के पास खड़ा है । तब वह और यासीन मोटरसाईकिल से नगर परिषद की तरफ रवाना हुए, तभी अचानक लाइट चली गई और मोटरसाईकिल के आगे कुत्ता आ गया जिससे वह और यासीन नीचे गिर गए तथा उनके चोटें आई । उस रोज उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी । पीडब्ल्यू 02 मोहम्मद यासीन ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 02.05.2019 को रात्रि के 10.00 बजे वह उसके घर पर था तब साबीर भाई उसे लेने के लिए उसके घर पर आए । वह और साबीर भाई, संजय भाई के घर गए । संजय भाई की इलियास से बोलचाल हो गई थी तो वह और साबीर मोटरसाईकिल से मूंगड़ा चौराहा जा रहे थे तो नगर परिषद के पास उनकी मोटरसाईकिल के सामने कुत्ता आने से स्लीप हो गई जिससे उसके व साबीर के चोटें आई थी । उस रोज उसके व साबीर के साथ किसी ने मारपीट नहीं की थी । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** उक्त गवाहों ने उनके पुलिस बयान से इन्कार किया है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी 01 व 03 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया है । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 02.05.2019 को रात्रि करीब 09.00–10.00 बजे उनके व संजय के साथ, इलियास, साहिल, शेर मोहम्मद, आमीन व सोएब ने स्मैक पीने के लिए रुपये मांगे हो तथा उन्होंने मना किया तो सभी मुलजिमान ने तलवार, धारियों व लोहे के पाइपों से उनके साथ मारपीट की हो । उनके भाई संजय ने इलियास के साथ बोलचाल की रिपोर्ट पुलिस को दी थी । इस कथन को गलत बताया है कि उनके साथ अभियुक्तगण ने मारपीट की हो जिससे उन्हें चोटें आई हों । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** यह स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत मुलजिमान इलियास, सोहेब, साहिल, आमीन व शेर मोहम्मद ने उनके व संजय के साथ मारपीट नहीं की थी । प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है उन्हें जानकारी नहीं है । उनके तो केवल अंगूठा व हस्ताक्षर करवाए थे ।

15. आहत पीडब्ल्यू 07 याकूब खां, पीडब्ल्यू 09 मोसीम खां व पीडब्ल्यू 10 शेर मोहम्मद भी पक्षद्रोही हुए हैं । पीडब्ल्यू 07 याकूब खां ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है

कि करीब 07 साल पहले रात्रि 10.00 बजे वह घर पर था तब साबीर उसे लेने आया था, फिर रास्ते में वह उतर गया और वापस घर जा रहा था तब रात्रि मे अंधेरा होने से उसके पैर के ठोकर लगने से नीचे गिर गया जिससे उसके शरीर पर चोटें आई थी । उसके साथ किसी ने कोई घटना नहीं की थी, न उसने किसी को देखा न सुना । पीडब्ल्यू 09 मोसीम खां ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि करीब 07 साल पहले रात्रि 10.00 बजे वह घर पर था तब साबीर उसे लेने आया था, फिर रास्ते में वह उतर गया और वापस घर जा रहा था तब रात्रि मे अंधेरा होने से चलतें हुए स्वयं नीचे गिर गया जिससे उसके शरीर पर चोटें आई थी । उसके साथ किसी ने कोई घटना नहीं की थी, न उसने किसी को देखा न सुना । पीडब्ल्यू 10 शेर मोहम्मद ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि करीब 07 साल पहले रात्रि 10.00 बजे वह घर पर था तब साबीर उसे लेने आया था, फिर रास्ते में वह उतर गया और वापस घर जा रहा था तब रात्रि मे घर पर काम करते वक्त गिर गया जिससे उसके शरीर पर चोटें आई थी, उसके साथ किसी ने कोई घटना नहीं की थी, न उसने किसी को देखा न सुना । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** उक्त गवाहों ने यह जाहिर किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पर उनके हस्ताक्षर है रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखी थी न ही उन्होंने किसी से लिखवाई, पुलिस ने खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे, किसलिए करवाए थे उन्हें पता नहीं । इस कथन को गलत बताया है दिनांक 03.05.2019 को पुलिस को मारपीट की रिपोर्ट दी हो । गवाहों ने उनके पुलिस बयान से इन्कार किया है एवं पुलिस बयान प्रदर्श पी 10, 12 व 14 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया है । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 02.05.2019 को रात्रि करीब 09.00–10.00 बजे साबीर, मोहम्मद यासीन व संजय के साथ इलियास, साहिल, शेर मोहम्मद, आमीन व सोएब ने स्मैक पीने के लिए रुपये मांगने व मना करने पर सभी मुलजिमान ने तलवार, धारिया व लोहे के पाइपों से उनके साथ मारपीट की हो । गवाहों ने उनकी डॉक्टरी होने से इन्कार किया है और याकूब खां ने कथन किया है कि ठोकर लगने से गिरने से लगी चोटों की डॉक्टरी करवाई थी जो प्रदर्श पी 11 है । मोसीम खां ने कथन किया है कि नीचे गिरने से लगी चोटों की डॉक्टरी करवाई थी जो प्रदर्श पी 13 है । शेर मोहम्मद ने कथन किया है कि घर पर गिरने से लगी चोटों की डॉक्टरी करवाई थी जो प्रदर्श पी 15 है । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** जाहिर किया है कि प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा है उन्हें जानकारी नहीं है । उक्त फर्दें व रिपोर्ट उनके सामने नहीं बनाई थी उनके केवल हस्ताक्षर करवाए थे । यह स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत मुलजिमान ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की थी ।

16. पीडब्ल्यू 13 निसार खां घटना का चश्मदीद गवाह है, जो पक्षद्रोही हुआ है जिसने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि 07 साल पहले उसने किसी के साथ कोई घटना होते नहीं देखी न ही सुनी न ही उसे जानकारी है । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** गवाह ने उसके पुलिस बयान से इन्कार किया है तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी 20 का ए से बी भाग पुलिस को देने से इन्कार किया है । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 02.05.2019 को उसके सामने इलियास, सोहेल, शेर मोहम्मद, आमीन व सोहेब द्वारा तलवार, धारियों व पाइप से संजय खां, यासीन, शेर मोहम्मद, साबीर, मोसीम व याकूब के साथ मारपीट की हो । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** यह स्वीकार किया है कि दिनांक 02.05.2019 को हाजिर अदालत मुलजिमान इलियास, सोहेल, शेर मोहम्मद, आमीन व सोहेब द्वारा संजय खां, यासीन, शेर मोहम्मद, साबीर, मोसीम व याकूब के साथ मारपीट करते नहीं देखा था ।

17. पीडब्ल्यू 06 मेहबूब व पीडब्ल्यू 07 रज्जाक खां बरामदगी के मौतबीर हैं, जो पक्षद्रोही हुए हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि 07 साल पहले वे बालोतरा में थे। पुलिस ने उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी न ही उन्हें कोई जानकारी है । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** फर्द नक्शा नजरी बरामदगी प्रदर्श पी 07 से 09 पर उनके ए से बी व सी से डी हस्ताक्षर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर करवाना कथन किया है तथा इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 08.05.2019 को पुलिस ने उनके सामने बालोतरा में मुलजिम इलियास के बताए अनुसार आलाय जरब फरसा (फरी) जब्त किया हो, उस जगह का नक्शा नजरी मुर्तिब किया हो, उसी रोज पुलिस ने एक खून आलूंदा आलाय जरब लोहे का फरसा (फरी) जब्त किया हो एवं दिनांक 11.05.2019 को पुलिस ने उनके रूबरू वक्त घटना साबीर खां के पहना कुर्ता, पायजामा व बनियान कब्जे में लिए हों । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** यह जाहिर किया है कि प्रदर्श पी 07 से 09 में क्या लिखा है उन्हें जानकारी नहीं है । उक्त फर्दें उनके सामने नहीं बनाई थी उनके पुलिस थाने में केवल हस्ताक्षर करवाए थे ।

18. पीडब्ल्यू 12 अजरूदीन घटनास्थल तस्दीक का मौतबीर है, जो पक्षद्रोही हुआ है जिसने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि 07 साल पहले उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी न ही उसे जानकारी है । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** गवाह ने फर्द नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श पी 18 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर करवाना कथन किया है जो किसलिए करवाए थे उसे पता नहीं होना बताया है । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** यह कथन किया है कि प्रदर्श पी

18 में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है । उक्त फर्द उसके सामने नहीं बनाई थी उसके पुलिस थाने में कोरे कागजों पर केवल हस्ताक्षर करवाए थे ।

19. पीडब्ल्यू 14 सिकंदर तलवार बरामदगी का मौतबीर गवाह है, जो पक्षद्रोही हुआ है जिसने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि 07 साल पहले वह बालोतरा में था पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी न ही उसे कोई जानकारी है । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** कथन किया है कि फर्द प्रदर्श पी 21 व 22 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो पुलिस ने खाली कागजों पर करवाए थे किसलिए करवाए थे उसे पता नहीं। इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 04.07.2019 को मुलजिम आमीन खां की निशादेही से घटना में प्रयुक्त आलाय जरब तलवार अभियुक्त के घर के बाहर गंदे नाले के पास बबूल की झाडियों से बरामद की हो और नक्शा नजरी बरामदगी तलवार का बनाया हो । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** कथन किया है कि प्रदर्श पी 21 व 22 में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है । उक्त फर्दें उसके सामने नहीं बनाई थी उसके पुलिस थाने में केवल हस्ताक्षर करवाए थे ।

20. पीडब्ल्यू 15 असरफ तलवार व पाइप बरामदगी का मौतबीर गवाह है, जो पक्षद्रोही हुआ है जिसने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि 07 साल पहले वह बालोतरा में था। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी न ही उसे कोई जानकारी है । **लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में** कथन किया है कि फर्द प्रदर्श पी 19 पर सी से डी व प्रदर्श पी 23 से 26 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है जो पुलिस ने खाली कागजों पर करवाए थे किसलिए करवाए थे उसे पता नहीं । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 11.06.2019 को पुलिस ने सिराजुदीन उर्फ शेर मोहम्मद की निशादेही से बरामदगीस्थल आलाय जरब तलवार का बनाया हो और दिनांक 15.07.2019 को मुलजिम सोएब खां की सूचना से फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल आलाय जरब बनाया हो । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 11.06.2019 को मुलजिम सिराजुदीन की सूचना से आलाय जरब तलवार बरामद की हो । इस कथन को गलत बताया है कि मुलजिम सोएब खां की इत्तला अनुसार उसके कब्जे से आलाय जरब पुरानी स्टील वाली पाइप बरामद की हो । इस कथन को गलत बताया है कि दिनांक 14.07.2019 को पुलिस ने उसके सामने सोएब खां को गिरफ्तार किया हो । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** कथन किया है कि प्रदर्श पी 19 व 23 से 26 में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं है । उक्त फर्दें उसके सामने नहीं बनाई थी उसके पुलिस थाने में कोरे कागजों में केवल हस्ताक्षर करवाए थे ।

21. पीडब्ल्यू 03 तामलराम व पीडब्ल्यू 04 बाबूलाल ने उनका दिनांक 08.05.2019 को पुलिस थाना बालोतरा में क्रमशः एएसआई व कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित होना एवं उस रोज अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 154/2019 में अभियुक्त इलियास को उनके रूबरू गिरफ्तार करना कथन किया है एवं फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 05 पर ए से बी व सी से डी उनके हस्ताक्षर होना कथन किया है । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** यह कथन किया है कि इलियास को जरिये प्रोडेक्शन वारंट उपकारागृह बालोतरा से प्राप्त कर इस प्रकरण में गिरफ्तार किया था । यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 05 पर मुलजिम का फोटो लगा हुआ नहीं है ।

22. पीडब्ल्यू 05 गेनाराम ने कथन किया है कि वह दिनांक 04.07.2019 को पुलिस थाना बालोतरा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था । उस रोज अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण संख्या 154/2019 में अभियुक्त आमीन खां को उसके व गौतम के रूबरू गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 06 मुर्तिब की थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । **अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में** यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 06 पर मुलजिम का फोटो लगा हुआ नहीं है ।

23. अधिवक्ता अभियुक्तगण ने फर्दात गिरफ्तारी अभियुक्त इलियास प्रदर्श पी 05, अभियुक्त आमीन खां प्रदर्श पी 06, अभियुक्त शोयब खां प्रदर्श पी 19, अभियुक्त शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन प्रदर्श पी 27 व अभियुक्त साहिल खां उर्फ सोहेल खां प्रदर्श पी 28 स्वीकार किया हैं ।

24. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों में आहत/परिवादी पीडब्ल्यू 11 संजय खान एवं आहतगण पीडब्ल्यू 01 साबीर खान, पीडब्ल्यू 02 मोहम्मद यासीन, पीडब्ल्यू 07 याकूब खां, पीडब्ल्यू 09 मोसीम खां व पीडब्ल्यू 10 शेर मोहम्मद पक्षद्रोही हुए हैं एवं मुलजिमान द्वारा संजय से स्मैक पीने के लिए रुपये मांगने तथा मना करने पर उनके साथ तलवार, धारिया, लोहे के पाइपों से मारपीट करने से इन्कार किया है एवं गवाहों ने उनके कारित चोटें नीचे गिरने से आना बताया है तथा पुलिस में संजय व इलियास की आपस में बोलचाल होने की रिपोर्ट देना एवं मारपीट बाबत कोई रिपोर्ट नहीं देना कथन किया है । हाजिर अदालत मुलजिमान द्वारा उनके साथ मारपीट करने से स्पष्ट इन्कार किया है तथा रिपोर्ट में क्या लिखा है जानकारी नहीं होना एवं रिपोर्ट उनके द्वारा न तो लिखना और न ही किसी से लिखवाना जाहिर किया है । समस्त फर्दों पर भी पुलिस थाने में उनके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाना कथन किया है । घटनास्थल तस्दीक के गवाह, तलवारों, फरसा (फरी) व लोहे के पाइप की बरामदगी के गवाह एवं बरामदगीस्थल के मौतबीर

गवाह सभी पक्षद्रोही हुए हैं एवं पुलिस द्वारा उनके सामने कोई बरामदगी नहीं करना तथा सभी फर्दों पर उनके हस्ताक्षर थाने में कोरे कागजों पर करवाना कथन किया है । गवाह सभी पक्षद्रोही रहे हैं एवं अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते हैं जिससे अभियोजन मामला साबित नहीं है ।

25. उपरोक्त विवेचनानुसार, अभियोजन पक्ष, साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने 02.05.2019 को रात करीब 09.15 बजे (प्रथम घटना) एवं प्रथम घटना की रिपोर्ट थाना में पेश करने के पश्चात् वापस घर जाते वक्त परिवादी संजय खान पर जानलेवा हमला करने के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में विधिविरुद्ध जमाव का गठन कर घातक आयुधों, तलवारों, फरसा, लोहे के पाइप से सुसज्जित होकर परिवादी संजय खान वगैरह् पर बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया हो एवं मजरूबान संजय खान, मोहम्मद यासीन व बीच–बचाव हेतु आए शेर मोहम्मद, याकुब खां, साबीर खान व मोसीम खां का सदोष अवरोध कर मजरूबान साथ के साथ स्वेच्छया कुंद आलाय अथवा धारदार हथियारों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहति कारित की हो एवं परिवादी संजय खान से नशा करने के लिए पैसे मांगे हो, जो उसके द्वारा देने से इन्कार करने पर उसके साथ मारपीट की हो, जिसकी रिपोर्ट परिवादी संजय खान मय उसके काका मोहम्मद यासीन के साथ थाना में जाकर पेश करने के पश्चात् वापस घर जाते वक्त थाने में रिपोर्ट पेश करने के कारण उनके साथ मारपीट की हो एवं मजरूबान मोहम्मद यासीन व साबीर खान पर धारदार हथियार तलवार से वार कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की हो एवं साशय मजरूबान मोहम्मद यासीन व साबीर खान की मृत्यु कारित करने के आशय से उन पर तलवार से वार कर हत्या करने का प्रयत्न किया हो तथा अभियुक्तगण शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन व आमीन खां के संज्ञान व कब्जा से वारदात में प्रयुक्त धारदार तलवारें उनके रहवासी मकानों से बरामद हुई हो । अतः अभियुक्तगण अभियुक्तगण इलियास, शोयब व साहिल खां उर्फ सोहेल खां आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्तगण शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन व आमीन खां आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

26. परिणामतः अभियुक्तगण इलियास पुत्र सलीम खां, शोयब पुत्र युसुफ, व साहिल खां उर्फ सोहेल खां के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 148, 341, 323, 324, 326,

329, 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्तगण शेर मोहम्मद उर्फ सिराजुदीन पुत्र फरीद व आमीन खां पुत्र युसुफ खां के विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 148, 341, 323, 324, 326, 329, 307 सपठित धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम साबित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाता है ।

27. इस न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थिति बाबत अभियुक्तगण इलियास, शोयब, साहिल खां उर्फ सोहेल खां व आमीन खां द्वारा पूर्व में पेश बंधपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं । अभियुक्तगण धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने बाबत 10,000/– रुपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावें ।

28. अभियुक्त शेर मोहम्मद हाजिर नहीं है, अतः उसकी ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके आगामी छः माह की अवधि के लिए धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत विस्तारित किये जाते हैं ।

29. प्रकरण में वजह सबूत जब्तशुदा सामग्री का बाद म्याद अपील/रिविजन नियमानुसार निस्तारण किया जाए ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

30. निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.04.08 15:03:22 +0530